

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

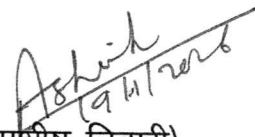
// आदेश //

क्रमांक C/306 /

जबलपुर, दिनांक 20 / 01 / 2026

दो-14-21 / 24

श्री वतन श्रीवास्तव, पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ इंदौर को दिनांक 22.12.2025 से 31.12.2025 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।


(आशीष तिवारी)

डिप्टी रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.

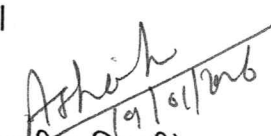
पृष्ठांकन क्रमांक C/307 /

जबलपुर, दिनांक 20 / 01 / 2026

दो-14-21 / 24

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 3139 इंदौर दिनांक 24.12.2025 के संदर्भ में श्री वतन श्रीवास्तव, पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ इंदौर का निर्धारित प्रपत्र को वापस करते हुए अनुरोध है कि आदेश प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
2. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित,
3. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(आशीष तिवारी)

डिप्टी रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.